

## प्रारूप-30.3

परियोजना विवरण :- राज्य योजना के अन्तर्गत सातशिलिंग थल मोटर मार्ग के किमी 0 29 से चामूल भण्डारीगांव रजवार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

जिला स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

जिला पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत सातशिलिंग थल मोटर मार्ग के किमी 0 29 से चामूल भण्डारीगांव रजवार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ( शून्य हेठल मूल भूमि, 2.115 हेठल सिविल एवं सोयम बन भूमि 1.440 हेठल बन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 3.555 हेठल बन भूमि ) का प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत बनवासी (बन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कनालीछीना ) की दिनांक 10.01.2019 को सम्पन्न वैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत बन निवासी (बन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय बन अधिकार रामिति की वैठक श्रीबी.क्लै.झैमदेंडे जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय बन अधिकार रामिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। वैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री बी.क्लै.झैमदेंडे जिलाधिकारी पिथौरागढ़ अध्यक्ष
- 2- श्री बिजय कुमार बिहारी प्रमाणीय बनाधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य
- 3- श्रीमति मंजूला देवी पत्नी श्री महेन्द्र सिंह ग्राम सिर्दार्ग धारवूला जिला पंचायत सदस्य
- 4- श्री कगलेश आर्या पुत्र श्री प्रेम राम ग्राम जैती विकास खण्ड मुनरखारी जिला पंचायत सदस्य
- 5- श्री अमर वहादुर चन्द पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द ग्राम दुलीबगड़ जौलजीवी विकास खण्ड धारवूला जिला पंचायत सदस्य
- 6- श्री रमेश कुमार जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव

जिला सीधव द्वारा माननीय सदस्यों का वैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति वैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राज्य योजना के अन्तर्गत सातशिलिंग थल मोटर मार्ग के किमी 0 29 से चामूल भण्डारीगांव रजवार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना हेतु 3.555 हेठल बन भूमि प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम समा के अन्तर्गत बनाधिकार का कोई मामला लिखित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित प्रभागीय बनाधिकारी, पिथौरागढ़ बन निवासी (बन अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत बन निवासी (बन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्त्वावधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि बन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम समा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय बन अधिकार रामिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

अतः प्रकरण में जिला स्तरीय बनाधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

जिलाधिकारी,  
पिथौरागढ़

प्रधान  
जिमी 30 सदस्य  
सिर्दार्ग 01

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
पिथौरागढ़

प्रधान  
जिमी 30 सदस्य  
सिर्दार्ग 01

प्रधान  
जिमी 30 सदस्य  
सिर्दार्ग 01

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना / अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

Government of Uttarakhand  
No---

FORM-1  
(for linear projects)  
Office of the District Collector Pithoragarh

Dated-----

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.555 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Work Department for in Pithoragarh district falls within jurisdiction of Badal chamul, chamul, Bhandari gaon Rajwar village(s) in Munakot (Pithoragarh) tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.555 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 3(a) to annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रांगण-३०.१  
OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pithoragarh** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. **YIAY KUMAR JAGDANDE**, I.A.S deputy commissioner, **10:07.2019** on dated ..... at time **4:30 PM** at **Pth**, in which application claiming rights in **LR: LND.Pth** area measuring 3.555 hect for the construction of Chamul to Bhandari Gaon Rajwar Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Pithoragarh** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:.....  
Dated:.....  
Chairman

  
Deputy Commissioner-cum-  
**प्रियापिकार**  
District Level Committee

## प्रारूप-30.2

परियोजना विवरण :- राज्य योजना के अन्तर्गत सातपीलिंग थल मोटर मार्ग के किमी 0 29 से चामूल भण्डारीगांव रजवार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, डीडीहाट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, डीडीहाट

उपखण्ड डीडीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत सातपीलिंग थल मोटर मार्ग के किमी 0 29 से चामूल भण्डारीगांव रजवार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ( 0.00 है 0 आरक्षित वन भूमि, 2.115 है 0 सिविल सौमन वन भूमि 1.440 है 0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 3.555 है 0 वन भूमि ) का प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देवलथल ) की दिनांक 08/05/2019 को सम्बन्ध बैठक की कार्यवाही का विवरण।-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अधिकता में आयोजित की गयी। इस समाननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री <u>प्रियंका शर्मा</u> उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2- श्री <u>मुमुक्षु शर्मा</u> उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3- श्री <u>प्रियंका शर्मा</u> सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4- श्री <u>प्रियंका शर्मा</u> वी 0 डी 0 सी 0 क्षेत्र	सदस्य
5- श्रीमती राधिका देवी पत्नी श्री कमान सिंह वी 0 डी 0 सी 0 क्षेत्र खाकोट सदस्य	सदस्य
6- श्री उमेश सिंह पुत्र शेर सिंह वी 0 डी 0 सी 0 क्षेत्र जमतड़ सदस्य	सदस्य
7- श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री भुवन चन्द्र कापडी वी 0 डी 0 सी 0 क्षेत्र सतगढ़ सदस्य	सदस्य

विं ० ख ० - कनालीछीना

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारियोंकी मिलनति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राज्य योजना के अन्तर्गत सातपीलिंग थल मोटर मार्ग के किमी 0 29 से चामूल भण्डारीगांव रजवार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना हेतु 3.555 है 0 वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लियत नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, डीडीहाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड डीडीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत सातपीलिंग थल मोटर मार्ग के किमी 0 29 से चामूल भण्डारीगांव रजवार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण से अनुमति प्राप्त कर्त्ता प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सदस्य  
क्षेत्र पंचायत रखाने  
विं ० ख ० - कनालीछीना

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

नूल का पता  
सदस्य  
क्षेत्र पंचायत (जिला)  
विं ० ख ० - कनालीछीना  
जिला - पिथौरागढ़

उप जिलाधिकारी अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील देवलथल

जिलाधिकार

ज डीडीहाट पिथौरागढ़

जिला - पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड

उप जिलाधिकारी अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील देवलथल

ज डीडीहाट पिथौरागढ़

जिला - पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत सातसिलिंग थल मोटर मार्ग के किमी ० २७ से चामूल भण्डारी गांव रजवार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र  
ग्राम पंचायत का नाम -  
तहसील-कल्याण जिला-पिंडीरागढ़

उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत सातसिलिंग थल मोटर मार्ग के किमी ० २७ से चामूल भण्डारी गांव रजवार तक मोटर मार्ग का

नव निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु ( ०.०० हेतु आरक्षित वन भूमि, २.११५ हेतु सिविल सोयम भूमि १.४४ हेतु, वन पंचायत भूमि ) अर्थात कुल ३.५५५ हेतु वन भूमि का प्रा० ख० ल०० निं० पि० पिंडीरागढ़ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत-कल्याण द्वारा विनांक-४०५... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सबै में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधिकों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम-कल्याण को जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत-कल्याण अधिकारी  
सेत्र विधि समिति पर्यावरण  
मुहर सहित

४०

सरपंच

  
प्रधान  
ग्राम पंचायत-कल्याण  
विधि समिति (पिंडीरागढ़)  
४० ख० कल्याण सहित (पिंडीरागढ़)

## प्रारूप-30.4

दिनांक १५ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत लेडले-पमुँ

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री वृक्षी	न. द. वृ.
2-	" लक्ष्मी	लक्ष्मी
3-	" पूर्णा	पूर्णा
4-	" उमा	उमा
5-	" भौतरु	Bhautar
6-	" राजेंद्र	Rajendra
७-	" राजेंद्र अंबेडकर	राजेंद्र
८-	" देवियारु	देवियारु
९-	" शुद्धा	शुद्धा

ग्राम पंचायत  
वो ५०-कनालीठोना (पिथौरागढ़)

## प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :— राज्य योजना के अन्तर्गत सातसिलिंग थल मोटर मार्ग के किमी 0 29 से चामूल भण्डारी गांव रजवार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनुपत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम परम्परा

तहसील कुलदिल जिला-पिथौरागढ़

अनुपत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत सातसिलिंग थल मोटर मार्ग के किमी 0 29 से चामूल भण्डारी गांव रजवार तक मोटर मार्ग का

नव निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु ( 0.00 हे 0 आरक्षित वन भूमि, 2.115 हे 0 सिविल सोयम भूमि 1.44 हे 0, वन पंचायत भूमि ) अर्थात् कुल 3.555 हे 0 वन भूमि का प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत परम्परा द्वारा दिनांक 25/10/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनुपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम परम्परा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत अधिकारी  
ग्राम सचिव पिथौरागढ़  
मुहर सहित

हे० परम्परा  
सरपंच  
वन पंचायत द्वारा दिलाई गया  
जिला-पिथौरागढ़

हे०/-  
ग्राम प्रधान  
मुहर सहित  
हरी देवी  
ग्राम प्रधान  
प्र०/न  
ब० क० क० ग० ल० भ० भ० भ० भ० भ०  
प्र०/न  
ब० क० क० ग० ल० भ० भ० भ० भ० भ०



## प्रारूप-30.4

दिनांक  $\frac{5}{10}$  को शाम सभा की सत्यन्न बैठक की उपस्थिति

क्रमांक	शाम सभा में सुनिश्चित वर्तमान शान्तवालिकों के नाम	हस्ताक्षर
1-५८	राजेन्द्र कुमार कल्पना शर्मा पंकज शर्मा सुनील पंजपति स्वराज शर्मा	<del>राजेन्द्र कुमार</del> <del>कल्पना शर्मा</del> <del>पंकज शर्मा</del> <del>सुनील</del> <del>पंजपति</del> <del>स्वराज शर्मा</del>
५९-६०	जीवन कुमार मेधसुन्दर शर्मा कल्पना शर्मा सुनील सुनील उमेश शर्मा नीलकंठ शर्मा पंजपति शर्मा दिव्या शर्मा Babita kafalea manisha chauhan	<del>जीवन कुमार</del> <del>मेधसुन्दर शर्मा</del> <del>कल्पना शर्मा</del> <del>सुनील</del> <del>सुनील</del> <del>उमेश शर्मा</del> <del>नीलकंठ शर्मा</del> <del>पंजपति शर्मा</del> <del>दिव्या शर्मा</del> <del>Babita kafalea</del> <del>manisha chauhan</del>
६१-६२		
६३-६४		
६५-६६		
६७-६८		
६९-७०		
७१-७२		
७३-७४		
७५-७६		
७७-७८		
७९-८०		
८१-८२		
८३-८४		
८५-८६		
८७-८८		
८९-९०		
९१-९२		
९३-९४		
९५-९६		
९७-९८		
९९-१००		

हो/-  
शाम प्रधान



## प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम — राज्य योजना के अन्तर्गत सातशिलिंग थल मोटर मार्ग के किमी 0 29 से चामूल भण्डारीगांव रजवार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम भण्डारीगांव रजवार  
तहसील देवलथल, जिला पिथौरागढ़

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत सातशिलिंग थल मोटर मार्ग के किमी 0 29 से चामूल भण्डारीगांव रजवार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य( 0.00 हेठो आरक्षित वन भूमि 2.115 हेठो सिविल सोयम भूमि 1.45 हेठो वन पंचायत भूमि ) अर्थात कुल 3.565 हेठो वन भूमि का प्राप्त खोलो निर्माण पिथौरागढ़ विभाग/संसद्या के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्त्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भण्डारीगांव रजवार दिनांक को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भण्डारीगांव रजवार के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्राप्त खोलो निर्माण प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजनों के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

मुहर  
प्रधान  
ग्राम पंचायत भण्डारीगांव रजवार,  
खोलो निर्माण कानूनी कालीना

हेठो/  
ग्राम प्रधान/सरपंच  
मुहर सहित

ग्राम पंचायत  
ग्राम सचिव प्रधान  
क्षेत्र सुहसन सहित  
वि सुहसन सहित

दिनांक २५/५/१४ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत भण्डारीगांव रजबार

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	ठोड़ा शूद्र देव सिंह	<i>Ram Singh</i>
2-	कुमार शूद्र	<i>Kumar Shudh</i>
3-	कल्यान सिंह	<i>Kalyan Singh</i>
4-	आजुन सिंह	<i>Ajnu Singh</i>
5	जामुना सिंह	<i>Jamuna Singh</i>
6	अवाल सिंह	<i>Avail Singh</i>
7	नारायण सिंह	<i>Narayan Singh</i>
8	बहादुर सिंह	<i>Bahadur Singh</i>
9	ज्ञान सिंह	<i>Gnan Singh</i>
10	करोशा सिंह	<i>Karosh Singh</i>
11	पक्षाशा सिंह	<i>Paksha Singh</i>
12	हृषीत सिंह	<i>Hritiit Singh</i>
13	नन्दन सिंह	<i>Nandn Singh</i>
14	पदम सिंह	<i>Padam Singh</i>
15	उक्ता सिंह	<i>Ukt Singh</i>
16	झुगता सिंह	<i>Jhugat Singh</i>
17	गापाल सिंह	<i>Gopal Singh</i>
18	विलाल सिंह	<i>Vilal Singh</i>
19	दुधधन सिंह	<i>Dudhan Singh</i>
20	भरून्दा सिंह	<i>Bharunnd Singh</i>
21	राजन्द्र सिंह	<i>Rajendra Singh</i>
22	तामाधि	<i>Tamadhia</i>
23	दावान सिंह	<i>Dawan Singh</i>
24	" खड़का सिंह	<i>Khang Singh</i>

*(mch)*

प्रधान —  
ग्राम पंचायत भण्डारीगांव रजबार  
ग्राम प्रधान हॉ/- ३० रु० करनालीड, ज.